



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

31.03.2020 एवं आगे के लिये

निगम के पोषण आहार संयंत्र बाडी जिला रायसेन से पूरक पोषण आहार
के परिवहन एवं म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन के गोदाम से गेहू
के परिवहन कार्य करने हेतु

निविदा प्रपत्र

आन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित दिनांक 19.9.2018

महाप्रबंधक
(पोषण आहार)



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

क्रमांक / मुख्या / पोषण आहार / 2018 / 215(II) / 3736

दिनांक 29.08.2018

परिवहन का कार्य करने हेतु आन लाईन निविदा सूचना

निगम के बाड़ी (रायसेन) स्थित पोषण आहार संयंत्र हेतु विभिन्न परिवहन कार्यो हेतु आन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं । निविदा प्रपत्र का क्रय online पद्धति से www.mpeproc.gov.in से दिनांक 19.9.2018. को अपराहन 2.00 बजे तक किया जा सकता है, निविदाएँ उसी दिन अपराहन 03.00 बजे तक अपलोड की जा सकेंगी। निविदा का विस्तृत विवरण निगम की website - www.mpagro.org एवं www.mpeproc.gov.in पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार का संशोधन उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किया जाएगा एवं इसके लिए से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com

**पोषण आहार संयंत्र बाडी जिला रायसेन से पूरक पोषण आहार का
परिवहन का कार्य करने हेतु
निविदा प्रस्तुत करने की समय एवं तिथियों का विवरण**

आन लाईन निविदा पत्र का मूल्य GST सहित	राशि रू 1180 डिमांड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न कर हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत किया जाना है।
आन लाईन निविदा पत्र का क्रय	www.mpeproc.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 30.08.2018 अपराह्न 2.00 बजे से 19.9.2018 अपराह्न 1.59 बजे तक
संकल्प धन राशि (EMD)	रू 5,00,000 /- (रू पांच लाख मात्र)
प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 30.08.2018 अपरान्ह 2.00 बजे से 19.9.2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक
प्री बिड मीटिंग	दिनांक 12.09.2018 अपरान्ह 12.00 बजे निगम मुख्यालय भोपाल में
आन लाईन निविदा प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 19.9.2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक
निविदा पत्र (हार्डकापी में) टेण्डर बॉक्स में प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 19.9.2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक
आनलाईन तकनीकी निविदा तथा हार्ड कापी खोलने की तिथि	दि 19.9.2018 अपरान्ह 4.00 बजे

योग्य पाये गये आफरकार्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव खाले जाने की दिनांक एवं समय की जानकारी निगम के सूचना पटल एवं बेब साईट पर दी जावेगी एवं योग्य प्रदायकों को ई मेल/दूरभाष पर सूचित किया जावेगा।

नोट- उपरोक्त दशित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की बेबसाईट www.mpagro.org तथा www.mpeproc.gov.in पर किया जावेगा। निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निविदा के संदर्भ में बेबसाईट समय समय पर देख कर प्रकाशित होने वाले संशोधन/सूचनाओं के प्रति अवगत हों।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)



पोषण आहार संयंत्र बाड़ी जिला रायसेन में पूरक पोषण आहार के परिवहन का कार्य करने हेतु निविदा प्रपत्र विवरण

निविदा पत्र में कुल 21 पृष्ठ निम्नानुसार है:-

क्रं	विवरण	अनुसूची	पृष्ठ संख्या
1	आवेदन पत्र	अनुसूची -1	5
2	सामान्य शर्तें	अनुसूची -2	6-16
3	घोषणा पत्र	अनुसूची -3	17
4	पोषण अहार संयंत्र बाड़ी से महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजनाओं की दूरी	अनुसूची -4	18
5	निविदाकार के पास उपलब्ध द्रकों की जानकारी	अनुसूची -5	19
4	वित्तीय प्रस्ताव पत्र का प्रारूप	अनुसूची -6	20
5	अनुबंध का प्रारूप	अनुसूची -7	21

निविदा पत्र में उद्धृत/उल्लेखित विभिन्न शब्दों का भावार्थ-

● निगम	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
● संयंत्र	बाड़ी जिला रायसेन में स्थित पोषण आहार संयंत्र जो भोपाल से 105 किलो मीटर तथा मंडीदीप से 75 किलोमीटर दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित है।
● निविदाकर्ता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा उक्तानुसार कार्य किये जाने हेतु निर्धारित दस्तावेज में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
● परिवहन कर्ता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य कर परिवहन कार्य करने हेतु अनुबंधित किया गया हो।
● संकल्प धनराशि(ई.एम.डी.)	निविदा पत्र की शर्त क्रं. 3 के अनुसार
● धरोहर राशि (सिक्युरिटी डिपोजिट)	निविदा पत्र की शर्त क्रं 10 के अनुसार
● परियोजना के गोदाम	महिला एवं बाल विकास विभाग के ब्लॉक स्तर में स्थित परियोजना कार्यालयों द्वारा नियत गोदाम जंहा पोषण आहार का भण्डारण किया जाना है।
● प्रबंध संचालक	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के प्रबंध संचालक
● महा प्रबंधक (पोषण आहार)	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के महा प्रबंधक (पोषण आहार)
● परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास विभाग के ब्लॉक स्तर में स्थित परियोजना कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी
● विभाग	संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग
● FSSAI	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safty and Standat Authority of India)
● नागरिक आपूर्ती निगम (नान)	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन लि

पोषण आहार संयंत्र बाड़ी जिला रायसेन में पूरक पोषण आहार के परिवहन का कार्य करने हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रति,

महा प्रबंधक (पोषण आहार)
एम.पी स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड
तृतीय तल पंचानन भवन,
मालवीय नगर
भोपाल ।

विषय—निगम के पोषण आहार संयंत्र बाड़ी जिला रायसेन में पूरक पोषण आहार के परिवहन का कार्य करने हेतु निविदा हेतु आवेदन पत्र

महोदय,

हमारे द्वारा पोषण आहार संयंत्र बाड़ी जिला रायसेन में पूरक पोषण आहार के परिवहन का कार्य करने हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। हमारी फर्म का विवरण निम्नानुसार है –

क्र०	विवरण	प्रस्तुत विवरण
2	निजी कंपनी, निजी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य
3	फर्म के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता
4	निविदा प्रस्तुत करने/हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम
5	दूरभाष क्रमांक मोबाईल क्र० फैक्स क्रमांक
6	पेन नंबर
7	टिन नंबर
8	सर्विस टैक्स नंबर
9	निविदा पत्र का मूल्य GST सहित राशि रु 1180/-	DD No Date For Rs..... Issuing Bank and Branch.....
9	संकल्प धन राशि (EMD) रु 5,00,000/- (रु पांच लाख मात्र)	DD No Date For Rs..... Issuing Bank and Branch.....
10	FSSAI द्वारा खाद्य सामग्री परिवहन करने हेतु जारी वैध लाइसेंस क्रमांक एवं वैधता दिनांक
11	फर्म में नियोजित (स्वयं/ अनुबंधित) ट्रकों का विवरण (अलग से प्रस्तुत करें व जानकारी स्वयं सत्यापित करें) ।	अनुसूची क्रं 5 में जानकारी प्रस्तुत करें।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम.....



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com

पोषण आहार संयंत्र बाड़ी जिला रायसेन में पूरक पोषण आहार के परिवहन का कार्य करने हेतु निविदा प्रपत्र

कार्य का स्वरूप

दी एम.पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो लिमि (निगम) जो मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम है, के बाड़ी जिला रायसेन स्थित पोषण आहार संयंत्र (सयंत्र) में उत्पादित पूरक पोषण आहार महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न परियोजनाओं तक एवं म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन रायसेन के विभिन्न गोदामों से गेहू एवं चावल का निगम के पोषण आहार संयंत्र बाड़ी में का परिवहन किया जाना है।

पोषण आहार संयंत्र (सयंत्र) में उत्पादित पूरक पोषण आहार का 25 किलो, 24 किलो एवं 18 किलो के बैग में महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न परियोजनाओं तक एवं म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन रायसेन के विभिन्न गोदामों से 50 किलो के बैग में गेहू एवं चावल का निगम के पोषण आहार संयंत्र बाड़ी में परिवहन किया जाना है। महिला एवं बाल विकास विभाग को परिवहन की जाने वाली मासिक मात्रा लगभग 1200 मी.टन रहेगी एवं म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन रायसेन के विभिन्न गोदामों से गेहू एवं चावल की परिवहन की जाने वाली मासिक मात्रा लगभग 600 मी.टन रहेगी जिसमें कमी / वृद्धि हो सकती है। सामान्यतः 50 से 60 मी.टन पूरक पोषण आहार का परिवहन प्रति दिन किया जाना है। परिवहनकर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य/दायित्वों का विस्तृत विवरण अनुसूची -2 की शर्त कं. 7 में उल्लेखित है।

परिवहन का कार्य प्रति मी.टन प्रति किलोमीटर के आधार पर नियत स्लेब के आधार पर करवाये जाने हेतु निर्धारित शर्तों में पर दर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

सामान्य शर्तें

1 अर्हता –

- 1.1 निविदाकर्ता निजी कंपनी, निजि/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य जो FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) द्वारा खाद्य सामग्री के परिवहन हेतु जारी वैध लायसेंस धारक हों।
- 1.2 निविदाकर्ता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी PAN तथा GST No होना आवश्यक है।
- 1.3 निविदाकर्ता के पोषण आहार/ खाद्य सामग्री के परिवहन का कम से कम गत तीन वर्षों का निरंतर कार्य का अनुभव, होना आवश्यक है (संबंधित संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)।

- 1.4 निविदाकर्ता का विगत तीन वर्षों में कम से कम राशि रू 3.00 करोड़ एवं प्रतिवर्ष 1.00 करोड़ का औसत टर्न ओवर होना आवश्यक है। सी ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 1.5 निविदाकर्ता के पास स्वयं के / अनुबंधित न्यूनतम 16 टन क्षमता के 4 ट्रक एवं 21 टन क्षमता के 2 ट्रक होना आवश्यक है। विवरण अनुसूची 5 में दर्शाया जाये एवं ट्रकों के पंजीयन पत्र तथा अनुबंधित होने की दशा में अनुबंध पत्र की स्वप्रामाणित प्रति प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।

2 आनलाईन निविदा पत्र की प्राप्ति-

- 2.1 निविदा पत्र निगम की वेब साईट www.mpagro.gov.in पर अवलोकन हेतु दिनांक 29.8.2018 अपराह्न 2.00 बजे से उपलब्ध रहेगा। निविदाकार जिनके पास वैध Class III Digital Signature है वे निविदा पत्र का क्रय www.mpeproc.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 30.08.2018 अपराह्न 2.00 बजे से 19.9.2018 अपराह्न 1.59 बजे तक किया जा सकता है।
- 2.2 निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं को निर्धारित निविदा दस्तावेज आन लाईन आवश्यक प्रोसेसिंग फीस जमा कर क्रय किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेज के मूल्य राशि रू 1000+GST = 1180 का डिमांड ड्राफ्ट **दी एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड** के नाम से भोपाल देय हो निविदा के साथ हार्डकापी में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 2.3 एक निविदाकर्ता से एक ही निविदा स्वीकार की जावेगी। निविदाकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्म या अन्य नामों से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आवेदक द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी निविदा अमान्य की जावेंगी एवं संबंधित निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि जप्त की जावेगी।
- 2.4 निविदा प्रस्तुत करने का आशय है कि निविदाकर्ता ने निगम द्वारा जारी निविदा पत्र को भलीभांति पढ़ लिया है, तथा वे कार्य के स्वरूप/आवश्यकताओं से भलीभांति अवगत है तथा निगम की निर्धारित शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत है। सशर्त आफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे।
- 2.5 **प्री बिड मीटिंग-** निविदा के संदर्भ में दिनांक 12.09.2018 को अपराह्न 12.00 बजे तृतीय तल पंचानन भवन भोपाल में निगम मुख्यालय में महाप्रबंधक पोषण आहार के कक्ष में प्री बिड मीटिंग का आयोजन किया जावेगा। संभावित निविदाकार निविदा के संदर्भ में अपनी आपत्तियां / सुझाव दिनांक 12.09.2018 को अपराह्न 12.00 बजे से पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समायोजन कर तदानुसार आवश्यक संशोधन निविदा में किये जा सकेंगे जो निविदा पत्र का हिस्सा कहलाएंगे। प्राप्त सभी सुझावों/ आपत्तियों के संदर्भ में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम हो कर निविदाकार के लिये मान्य होगा। बिड मीटिंग के उपरांत निविदा की शर्तों के संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेगीं, अतः यह आवश्यक है कि संभावित निविदाकार निविदापत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भली भांति परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद / संदेह की स्थिति न रहे।

3 संकल्प धन राशि (EMD) –

3.1 निविदा के साथ संकल्प धनराशि रू 5,00,000/– (रू पांच लाख मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो “दी एम पी स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड” के नाम से भोपाल देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है । बिना संकल्प धनराशि के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।

3.2 संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-

1. निगम द्वारा निविदाकर्ता की निविदा को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपनी निविदा वापस लिये जाने की दशा में।
 2. निविदा के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
 3. निविदाकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।
 4. निविदाकर्ता द्वारा निविदा मान्य होने पर निर्धारित समय सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की दशा में ।
 5. निविदा पत्र की शर्त कं 2.3 में वर्णित दशा में।
- 3.3 अयोग्य पाये गये निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जावेगी।

4 निविदा प्रस्तुत किया जाना –

4.1 आन लाईन निविदा दिनांक 19.9.2018 अपराह्न 3.00 बजे तक बेब www.mpeproc.gov.in पर अपराह्न 03.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे।

4.2 निविदाकर्ता के लिये यह अनिवार्य है की वे निर्धारित समय सीमा में निविदा एवं आवश्यक दस्तावेज तथा वित्तीय आफर www.mpeproc.gov.in पर अपलोड कर लें। mpeproc की बेबसाइट में तकनीकी खराबी/ सर्वर की समस्या या अन्य किसी तकनीकी कारणों से समय पर निविदा अपलोड नहीं होने की दशा में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा अतः निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय का इंतजार न करते हुये इसके पूर्व निविदा अपलोड करें जिससे समस्या यदि कोई हो तो, का समय पर निराकरण किया जा सके।

4.3 निम्नानुसार दस्तावेज बेबसाइट www.mpeproc.gov.in पर अपलोड किये जाना आवश्यक है—

1. निविदाकर्ता के पक्ष में FSSAI द्वारा जारी वैध लायसेंस की स्वप्रमाणित प्रति ।
2. आयकर विभाग द्वारा जारी PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति।
3. शर्त कं 3 के अनुसार संकल्प राशि रूपये 5,00,000/– का डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन की गई प्रति
4. शर्त कं 1.3 के अनुसार अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
5. शर्त कं 1.4 के अनुसार टर्न ओवर संबंधी सी ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
6. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र
7. अनुसूची 4 के अनुसार ट्रकों का विवरण एवं पंजीयन पत्र तथा अनुबंधित होने की दशा में अनुबंध की स्वप्रमाणित प्रति।
8. अनुसूची कं 5 में वित्तीय आफर

उपरोक्त क्रं 1 से 7 तक के दस्तावेज (वित्तीय आफर अनुसूची क्रं 5 छोड़कर) विधिवत स्केन करते हुये JPG यर PDF format में, न्यूनतम 100 DPI में अपलोड किया जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा सुनिश्चित कर लिया जावे कि स्केन किये गये दस्तावेज पठनीय हो।

4.4 निविदा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कापी (वित्तीय आफर अनुसूची क्रं 5 छोड़कर) दिनांक 19.9.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निगम के भोपाल स्थित मुख्यालय में रखे टेंडर बॉक्स में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् विलंब से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जावेगा चाहे ऐसी निविदाएं डाक द्वारा विलंब से प्राप्त हुई हों। प्रस्तुत किये जाने वाले लिफाफे में "परिवहन कार्य हेतु निविदा –तकनीकी विवरण" लिखते हुये आवेदक का नाम एवं पता लिखते हुये प्रस्तुत किया जाना है। लिफाफा में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण –

1. शर्त क्रं 2.2 के अनुसार निविदापत्र के मूल्य की राशि रूपये 1180/- का डिमांड ड्राफ्ट जो डी एम पी स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भोपाल देय हो।
2. शर्त क्रं 3 के अनुसार संकल्प राशि रूपये 5,00,000/- का डिमांड ड्राफ्ट डी एम पी स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भोपाल देय हो।
3. अनुसूची क्रमांक-3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर सहमति।
4. निविदाकर्ता के पक्ष में FSSAI द्वारा जारी वैध लायसेंस की स्वप्रमाणित प्रति।
5. आयकर विभाग द्वारा जारी PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति।
6. निविदाकर्ता फर्म की ओर से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
7. निविदा दस्तावेज सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर सहित।
8. शर्त क्रं 1.3 के अनुसार अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
9. शर्त क्रं 1.4 के अनुसार टर्न ओवर संबंधी सी ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
10. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र
11. अनुसूची 4 के अनुसार ट्रकों का विवरण एवं पंजीयन पत्र तथा अनुबंधित होने की दशा में अनुबंध की स्वप्रमाणित प्रति।

लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दों में 'पोषण आहार के परिवहन कार्य हेतु निविदा तकनीकी विवरण' लिखा जावे।

5 निविदा खोला जाना-

- 5.1 आन लाईन प्राप्त निविदा का तकनीकी आफर तथा टेंडर बॉक्स में प्राप्त लिफाफा दिनांक 19.9.2018 को अपरान्ह 4.00 बजे निगम मुख्यालय के कम्प्यूटर कक्ष में खोला जावेगा प्रबंध संचालक द्वारा नियुक्त समिति द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे।
- 5.2 आनलाईन/लिफाफा में हार्ड कापी में प्रस्तुत दस्तावेज अधिकृत समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कार्यवाही की जावेंगी।

- 5.3** सभी दस्तावेज आन लाईन दस्तावेज प्रस्तुत किये जाना है तथा शर्त कं 4.4 के अनुसार हार्ड कापी भी प्रस्तुत किये जाना है। आनलाईन प्रस्तुत दस्तावेज में कोई कमी होने अथवा अपठनीय होने की स्थिति में हार्ड कापी में प्रस्तुत दस्तावेज को आधार पर निर्णय लिया जावेगा।
- 5.4** समिति की अनुशंसाओं के अनुसार तकनीकी के आधार पर योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे। वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निगम की बेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी व योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं को ईमेल द्वारा दी जा सकेगी।

6 दर प्रस्तुत करना –

- 6.1** परिवहन के कार्य हेतु प्रति मी. टन के आधार पर नियत सेलेब में प्रति किलो मीटर प्रतिटन के आधार पर दरें दी जाना हैं। दरों में GST शामिल नहीं होगा, इसे अलग से दर्शाया जाये।
- 6.2** दर अनुसूची क्रमांक 4 में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। प्रस्तुत की गई दरों में सभी व्यय (टोल, लोडिंग/ अनलोडिंग, तुलाई) एवं वर्तमान में लागू सभी कर सम्मिलित रहेंगे। भविष्य में भारत /राज्य शासन अथवा स्थानीय निकायों द्वारा माल परिवहन संबंधी करों में परिवर्तन होने की दशा में निगम दरों को पुनरिक्षित किया जा सकेगा। विभिन्न करों की दरों में परिवर्तन होने पर पर किसी प्रकार की अंतर की राशि की वसूली/ भुगतान की राशि का निर्धारण करने के संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम हो कर निविदाकार के लिये मान्य होगा।
- 6.3** प्रस्तुत की गई दरें निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिवस के लिये प्रभावशील रहेंगी अर्थात् इस अवधि में निगम द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकार की जा सकेगी। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा दरें प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त अवधि में अपनी दरें वापस ली जाती हैं या कार्य से मना किया जाता है तो निविदा के साथ प्रस्तुत संकल्प धन राशि को जप्त कर लिया जाएगा।
- 6.4** दरें अंकों एवं शब्दों में लिखा जाना आवश्यक है। प्रस्तुत दर प्रस्ताव में अंकों एवं शब्दों में अंतर होने की दशा में न्यूनतम दर को मान्य किया जायेगा।
- 6.5** प्राप्त दरों पर किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे कार्य हेतु अपनी न्यूनतम दर देवें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे समिति द्वारा निर्धारित दर का प्रति प्रस्ताव न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले दर निविदाकार को दें अथवा सभी वैध निविदाकर्ताओं को e-bid प्रोसेस में पुनः निर्धारित दिनांक एवं समय तक दर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें (यह प्रक्रिया SNAP BIDDING कहलाई जाएगी)

7 निविदाकर्ता का चयन तथा अनुबंध –

- 7.1** तकनीकी आधार पर योग्य पाए गए निविदाकर्ताओं के आन लाईन प्राप्त वित्तीय आफर खोले जाएंगे।
- 7.2** निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त दरों के तुलनात्मक अध्ययन कर दरों के निर्धारण हेतु अनुसंशाएं प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जाएंगी। प्रबंध संचालक द्वारा कडिका कं0 6.5 के के आधार पर नियमानुसार निर्णय लेते हुये कार्य हेतु दरों का निर्धारण किया जावेगा।

- 7.3 उक्तानुसार कडिंका 7.2 के आधार पर निर्धारित दर प्राप्त न्यूनतम दर से कम होने की दशा में प्रथम न्यूनतम दर देने वाले निविदाकर्ता को सूचित कर उनकी सहमति होने पर निगम द्वारा इस आशय की सूचना निविदाकर्ता को देते हुये 15 दिवस में निगम के साथ अनुसूची-6 अनुसार राशि रु 1000/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- 7.4 उक्तानुसार कडिंका कं 7.3 की दरों पर सहमति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निगम द्वारा अंतिम दरों का पुनरीक्षित निर्णय लेकर सूचित किया जाएगा तथा अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जावेगा। निगम द्वारा इस आशय की सूचना निविदाकर्ता को देते हुये 15 दिवस में निगम के साथ अनुसूची-6 अनुसार अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
- 7.5 निर्धारित समयसीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने की दशा में यह मान्य करते हुये कि निविदाकर्ता कार्य करने का इच्छुक नहीं है, उसकी निविदा को निरस्त मान्य कर शर्त कं 3.2-4 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 7.6 उक्तानुसार कडिंका कं 7.5 की दशा में निगम के प्रबंध संचालक निर्धारित दर/प्रथम न्यूनतम दर का प्रति प्रस्ताव द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकर्ता/अन्य सभी योग्य निविदाकर्ताओं को देते हुये उनकी सहमति से अनुबंध कर कार्य का आवंटन चयनित निविदाकर्ता को दिये जाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।
- 7.7 उक्तानुसार कडिंका कं 7.6 में भी निविदाकर्ता का चयन न हो पाने की दशा में निगम के प्रबंध संचालक प्राप्त न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकार को अनुबंध हेतु आमंत्रित करने अथवा नवीन निविदा आमंत्रित करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होकर बंधनकारी रहेगा।

8 अनुबंध -

1. निविदाकार की दरें स्वीकृत होने की स्थिति में निगम द्वारा अनुबंध प्रस्तुत करने हेतु प्रदायक को 15 दिवस की समय सीमा दी जावेगी। परिवहनकर्ता द्वारा नियत समय सीमा में अनुबंध प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में निगम परिवहनकर्ता द्वारा जमा की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करेगा, इसके लिये पृथक से परिवहनकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है।
2. अनुबंधित दरें दिनांक 31.3.2020 एवं आगे की अवधि तक प्रभावशील रहेगीं अर्थात् नवीन निविदा के अंतर्गत नवीन दरों के अनुबंध तक अधिकतम 31.3.2021 के लिये प्रभाव शील रहेंगी।
3. अनुबंध होने के उपरांत परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन का कार्य किसी अन्य परिवहनकर्ता को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा। यदि परिवहनकर्ता द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है एवं निगम के संज्ञान में आती है तो निगम अनुबंध को निरस्त कर धरोहर राशि जप्त करने का अधिकारी रहेगा।

9 धरोहर राशि-

- 9.1 अनुबंध उपरांत निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि रु 500,000/- धरोहर राशि के रूप में समायोजित की जावेगी।
- 9.2 धरोहर राशि अनुबंध की प्रभावशीलता की अवधि में निगम के पास जमा रहेगी। अनुबंध अवधि समाप्ति पर किसी प्रकार के विवादस्पद स्थिति न होने की दशा में धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के परिवहनकर्ता को वापस की जावेगी।

9.3 धरोहर राशि निम्न परिस्थितियों में जप्त की जा सकती है—

- 9.3.1 परिवहनकता द्वारा निर्धारित अनुबंध अवधि से पूर्व कार्य बंद किये जाने की दशा में।
- 9.3.2 परिवहनकता द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किये जाने एवं निगम द्वारा इस आधार पर उनके अनुबंध को निरस्त किये जाने की दशा में।
- 9.3.3 निविदा पत्र की निर्धारित शर्तों के उल्लंघन किये जाने की दशा में।

10. कार्य का स्वरूप, तथा दायित्व –

10.1 पोषण आहार के परिवहन का कार्य तथा दायित्व

1. पोषण आहार के परिवहन का कार्य निगम के पोषण आहार सयंत्र से भोपाल संभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालयों के नियत गोदाम तक किया जाएगा।
2. महिला एवं बाल विकास विभाग से परियोजनावार प्राप्त आदेशानुसार सामग्री का परिवहन किया जाना होगा। सामग्री का परिवहन किसी भी मात्रा के लिये करना होगा, पूरे ट्रक लोड की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
3. निविदाकारों का दायित्व है कि वे निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व पोषण आहार सयंत्र से भोपाल संभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालयों के नियत गोदाम तक की स्थिती, दूरी एवं अनलोडिंग के व्यय की जानकारी प्राप्त कर लें एवं स्थानीय सड़को एवं परिस्थितियों से स्वयं अवगत हो कर आश्वस्त हो लें।
4. परियोजना केंद्रों की दूरियों का विवरण निविदा पत्र की अनुसूची 4 में दर्शाई गई है, जो दूरियां दर्शाई गई है को आधार मान कर ही भुगतान किया जावेगा।
5. दूरियों में विसंगति होने की दशा में गूगल मैप के आधार पर बाड़ी से गंतव्य स्थान के लिये दर्शाई गई न्यूनतम दूरी को अंतिम मान्य किया जायेगा।
6. अगर किसी ट्रक में एक से अधिक परियोजना के पोषण आहार की लदाई की जाना हो तो एक परियोजना के पोषण आहार की लदाई के पश्चात प्लास्टिक की शीट लगाने के उपरांत ही दूसरी परियोजना का पोषण आहार की लदाई की जायेगी। चयनित ट्रान्सपोर्टर को विशेष ध्यान रखना है कि जिन परियोजनाओं में एक ट्रक से अधिक मात्रा में पोषण आहार का प्रदाय करना है, तो उस परियोजना में पहले ट्रक से प्रदाय के बाद दूसरे ट्रक से प्रदायगी में अधिक दिनों का अन्तर न हो। वर्षा से बचाव हेतु तिरपाल इत्यादी की व्यवस्था परिवहनकर्ता द्वारा की जावेगी।
7. परिवहन के कार्य में निगम के बाड़ी सयंत्र से लोडिंग अनलोडिंग, प्रदाय स्थल तक सुरक्षित परिवहन एवं नियत गोदाम में सामग्री की अनलोडिंग सम्मिलित रहेगी।
8. सामग्री के परिवहन में रोड एक्सिडेंट, चोरी, कमी, गीला या प्रदाय न होने की दशा में निगम को होने वाली हानि का समस्त दायित्व परिवहन कर्ता का होगा। इस हेतु परिवहनकर्ता यदि उचित समझते हैं तो वे आवश्यक इश्योरेंस इत्यादि अपने स्तर से करावें। किसी भी प्रकार की हानि की वसूली का निर्धारण करने

हेतु निगम के प्रबंध संचालक अधिकृत रहेंगे तथा उनके द्वारा लिये गये निर्णय पर परिवहनकर्ता को आपत्ती लेने का अधिकार नहीं होगा।

9. परियोजनावार सामग्री के परिवहन की तिथियों का विवरण प्रत्येक माह निगम द्वारा परिवहन कर्ता को उपलब्ध कराया जावेगा। परिवहन कर्ता द्वारा परियोजना में जिस दिनांक को प्रथम बार पोषण आहार का परिवहन किया है उस दिनांक के अगले 30वें दिन के पूर्व पोषण आहार का परिवहन करना आवश्यक है। निगम/ विभाग द्वारा परिवहन की तिथियों में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है जिसे परिवहन कर्ता द्वारा मान्य करना आवश्यक है।
10. निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदाय किया जाना आवश्यक है। परिवहन कर्ता का दायित्व है कि वे दो दिवस पूर्व सयंत्र प्रभारी से चर्चा कर पोषण आहार की उपलब्धता एवं आवश्यक ट्रकों की व्यवस्था कर लें जिससे समय पर प्रदायगी सुनिश्चित की जा सके।
11. सामान्य परिस्थितियों में परिवहन की निर्धारित तिथि में अधिकतम 03 दिवस की छूट मान्य की जाएगी, परंतु इसका निर्धारण सयंत्र प्रभारी करेंगे तथा यह परिवहनकर्ता का अधिकार नहीं होगा कि वे सदैव 03 दिवस की देरी से परिवहन कार्य संपन्न करें। सयंत्र प्रभारी को यह अधिकार होगा कि परिवहनकर्ता द्वारा बार-बार देरी करने पर उनको देय भुगतान से राशि रु 500.00 प्रतिदिन की दर से कटौती करें जो उस परियोजना के लिये देय परिवहन व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
12. सामग्री की लोडिंग एवं अनलोडिंग आवश्यक हम्मालों की पर्याप्त व्यवस्था, एवं परिवहन के दौरान फेले स्कंध को साफ कर व्यवस्थित रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का रहेगा।
13. पोषण आहार का प्रदाय नियत परियोजना स्थल पर किये जाने के उपरांत विधिवत निगम के चालान पर पावती लेकर संबंधित परियोजना प्रभारी से सत्यापित करवाकर पावती की मूल प्रति निगम मुख्यालय भोपाल में महाप्रबंधक पोषण आहार के कक्ष में परिवहन दिनांक के तीन दिवस के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
14. पावती की एक छायाप्रति संबंधित जिला प्रबंधक एवं एक छायाप्रति पोषण आहार सयंत्र बाड़ी को प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। सभी आवश्यक कागजात जो भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाना आवश्यक होंगे।
15. परिवहनकर्ता का दायित्व है कि वे कम से कम एक व्यक्ति बाड़ी में रखें जो प्रतिदिन सयंत्र प्रभारी से संपर्क कर आवश्यक ट्रकों की व्यवस्था निरंतर करता रहें।

10.2 गेंहू एवं चावल के परिवहन का कार्य तथा दायित्व

1. पोषण आहार के उत्पादन के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग से गेंहू /चावल हेतु प्राप्त आवंटन के आधार पर प्रत्येक माह आवश्यक गेंहू/ चावल का क्रय निगम द्वारा म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन रायसेन से क्रय किया जाता है। जिसे परिवहनकर्ता को नागरिक आपूर्ति निगम के रायसेन जिले के गोदामों से उठा कर पोषण आहार सयंत्र बाड़ी जिला रायसेन में परिवहन किया जाना है।
2. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार निगम द्वारा आवंटित मात्रा की राशि का डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर परिवहनकर्ता को निगम के भोपाल स्थित मुख्यालय में उपलब्ध कराया जावेगा। निगम के भोपाल मुख्यालय से ड्राफ्ट प्राप्त कर नागरिक

- आपूर्ति निगम के रायसेन जिला कार्यालय से रिलिज आर्डर (आर. ओ.) निगम के पक्ष में जारी कराने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा।
3. आर.ओ. जारी कराये जाने के उपरांत नागरिक आपूर्ति निगम रायसेन द्वारा आवंटित गोदाम से निर्धारित समय सीमा में गेहूँ/चावल का सुरक्षित परिवहन सयंत्र के गोदाम/ निर्दिष्ट स्थान तक करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा। सामग्री के परिवहन के सर्दभ में रोड एक्सिडेंट, चोरी, कमी या प्रदाय न होने की दशा में निगम को होने वाली हानी का समस्त दायित्व परिवहन कर्ता का होगा इस हेतु आवश्यक है कि परिवहन कर्ता आवश्यक इश्योरेंस इत्यादि अपने स्तर से करावें। गेहूँ/ चावल की मात्रा कम होने अथवा परिवहन के दौरान भीग जाने से अनुपयोगी हो जाने पर उतनी मात्रा की की राशि की कटौती प्रचलित बाजार दर पर परिवहनकर्ता से की जावेगी।
 4. सयंत्र में प्राप्त सामग्रियों का वजन बाड़ी स्थित तौल कांटे से कराया जावेगा। तौल कांटों की प्रमाणित मात्रा को ही मान्य किया जावेगा। जिसे परिवहनकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाना होगा। यदि निगम द्वारा भविष्य में सयंत्र पर तौल कांटा लगाया जाता है तो तुलाई का कार्य निगम के तौल कांटे पर किया जावेगा जिसे परिवहनकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाना होगा।
 5. गेहूँ/ चावल के परिवहन कार्य में परिवहनकर्ता का दायित्व है कि वे नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम से बोरियाँ साफ स्वच्छ सूखी व सही हालत में गिनवाकर प्राप्त करें/करायें व उनका वजन भी सुनिश्चित कर लें एवं छल्ली से बोरी उठा ट्रक में लदाई एवं आवश्यक तुलाई इत्यादि कर सयंत्र के गोदाम में निर्दिष्ट स्थान पर पुनः छल्ली लगवायेंगे, तथा यह सुनिश्चित करेगें कि निगम को शत प्रतिशत गेहूँ चावल प्राप्त हो। लोडिंग एवं अनलोडिंग आवश्यक हम्मालों की पर्याप्त व्यवस्था, एवं परिवहन के दौरान फेले स्कंध को साफ कर व्यवस्थित रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का रहेगा।
- 10.3 परिवहनकर्ता द्वारा समय पर आवश्यक मात्रा में ट्रकों की व्यवस्था नहीं करने पर निगम द्वारा परिवहन का कार्य अपने स्तर से बाजार दर पर ट्रक लगा कर परिवहन का कार्य करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, एवं इस स्थिति में लगने वाली किसी भी अतिरिक्त राशि की वूसली परिवहनकर्ता के देयकों से की जावेगी। परिवहनकर्ता की उदासीनता/ लापरवाही से यदि निगम का पोषण आहार कालातीत होता है / गेहूँ /चावल के रिलिज आर्डर की समय सीमा समाप्त हो जाती जिससे निगम को किसी प्रकार की क्षती होती है तो उसकी समूची राशि की वसूली परिवहनकर्ता के देयकों से की जावेगी तथा इसमें परिवहनकर्ता को अपत्ति का अधिकार नहीं होगा।
 - 10.4 निगम द्वारा आवश्यकता होने पर स्वयं की परिवहन व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है। यदि निगम चाहे तो किसी भी परिवहनकर्ता को स्वीकृत /पूर्ण अथवा आंशिक कार्य आवंटित कर सकता है। इस परिस्थिति में नियुक्त परिवहनकर्ता की आपत्ति/क्षतीपूर्ति मान्य नहीं होगी।
 - 10.5 परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन के कार्य हेतु नियुक्त या परिवहन-कार्य हेतु लिये गये सेवक परिवहनकर्ता के होंगें इसका निगम से कोई लेनादेना नहीं होगा। परिवहनकर्ता के सेवकों के संबंध में फ़ैक्ट्री एक्ट/ लेबर ला या अन्य किसी भी प्रकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत आने वाली जिम्मेदारियों का वहन परिवहनकर्ता द्वारा किया जाना होगा।
 - 10.6 सामग्री की लोडिंग से ले कर अनलोडिंग के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की दशा में परिवहनकर्ता अथवा उसके सेवक/कर्मी के चोटग्रस्त होने या जनहानी होने पर निगम किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति दावे को स्वीकार नहीं करेगा।

- किसी दुर्घटना की स्थिति में किसी भी स्तर पर यदि सक्षम न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति संबंधी आदेश/ निर्देश दिये जाते हैं तो निगम आवश्यक राशि की प्रतीपूर्ति परिवहनकर्ता से कर सकेगा।
- 10.7 निविदा में कार्य की मात्रा का उल्लेख कर देने मात्र से परिवहनकर्ता को अधिकार प्राप्त नहीं होगा कि वह समूचे कार्य की मात्रा की मांग निगम से करे। निगम परिवहनकार्य करने हेतु एक से अधिक परिवहनकर्ता से अनुबंध करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
- 10.8 परिवहन के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर परिवहनकर्ता का दायित्व है कि वह तत्काल कार्यवाही करते हुये दुर्घटना स्थल पर स्कंध का निरीक्षण सयंत्र प्रभारी / निगम के प्रतिनिधि से करवाये एवं स्कंध सही हालत में हो उसे गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया जावे। ऐसा स्कंध जो दुर्घटना के कारण अनुपयोगी हो गया है उससे हुई वित्तीय हानि की राशि का प्रकलन निगम द्वारा किया जा कर की कटौती परिवहनकर्ता से की जावेगी। प्रकलीत की गई राशि / मूल्य परिवहनकर्ता द्वारा मान्य किया जाना आवश्यक होगा।

11. भुगतान—

- 11.1 परिवहनकर्ता द्वारा प्रत्येक माह में परिवहन की गयी गई सामग्री के संदर्भ में अनुबंधित दर अनुसार विधिवत तीन प्रतियों में देयक जिसमें GST नम्बर एवं GST की राशि का स्पष्ट उल्लेख सामग्री की पावती सहित सयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत किये जावेगें।
- 11.2 परिवहनकर्ता से देयक एवं विधिवत पावती प्राप्त होने की दशा में 15 दिवस में भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
- 11.3 अपूर्ण देयकों के भुगतान में विलंब का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का रहेगा, इस आधार पर परिवहन का कार्य नहीं रोका जायेगा।
- 11.4 किसी भी प्रकार की कटौती का निर्णय होने की दशा में परिवहनकर्ता के देयकों से आवश्यक राशि की कटौती परिवहनकर्ता के देयकों से सयंत्र प्रभारी द्वारा की जावेगी।
- 11.5 पोषण आहार उपलब्ध होने के बाद भी परिवहनकर्ता के विलंब के कारण समय से परियोजनाओं तक सामग्री प्रदाय न होने की स्थिति में यदि विभाग द्वारा इन्टरप्शन की राशि की कटौती की जाती है तो उसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी जो शर्त क्रं 7.1.10 की राशि के अतिरिक्त होगी।
- 11.6 नागरिक आपूर्ति निगम से गेहू/ चावल सही हालत में प्राप्त होने की दशा में परिवहन के देयकों का भुगतान नियमानुसार लगभग 15 दिवस में किया जावेगा।
- 11.7 गेहू/चावल की मात्रा में कमी/ भीगा होने या अन्य किसी कारण से नुकसान होने की दशा में शर्त क्रं 7.2.3 के अनुसार राशि का निर्धारण कर आवश्यक राशि की कटौती परिवहन देयकों से सयंत्र प्रभारी द्वारा की जावेगी।
12. किसी भी निविदा/प्राप्त सभी निविदाओं को पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा। उनके द्वारा लिया गया निर्णय बंधनकारी होकर मान्य करना होगा। इस संबंध में निविदाकर्ता को कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
13. निगम के प्रबंध संचालक निविदा की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

14. विवाद की दशा में प्रकरण सर्वप्रथम महाप्रबंधक (पोषण आहार) को प्रस्तुत किया जायेगा । उनके द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जायेगा जो आर्बिट्रेटर के रूप में अपना निर्णय देंगे । आर्बिट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्याय क्षेत्र भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय होगा ।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagro_bpl@airtelmail.in

**पोषण आहार संयंत्र बाड़ी जिला रायसेन में पूरक पोषण आहार/ गेहू के परिवहन का
कार्य करने हेतु
घोषणा पत्र**

मैंमेसर्सकी ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । निगम की निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार पोषण आहार संयंत्र बाड़ी जिला रायसेन में पूरक पोषण आहार/ गेहू / चावल का परिवहन का कार्य पर करने हेतु सहमत हूँ ।

एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे प्रस्ताव को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तों पर कार्य करने हेतु मैं/हम सहमत हैं । हम निविदा की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं तदानुसार कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये कार्य में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उसके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रु **5,00,000.00** प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा निविदा की सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं संयंत्र का निरीक्षण कर कार्य को भलीभांति समझ लिया है। हम तदानुसार सभी शर्तों पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

प्रस्तावक के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

..... (हस्ताक्षर)

.....

नाम एवं पता

नोट : राशि रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर मान्य ।

पोषण अहार सयंत्र बाड़ी से महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजनाओं की दूरी

S.NO.	DISTRICT	NAME OF PROJECT CENTRE	DISTANCE FROM BADI PLANT	S.NO.	DISTRICT	NAME OF PROJECT	DISTANCE
1	BHOPAL	Banganga	101	5	RAJGARH	Biora	210
		Barkhedi	101			Khilchipur	269
		Berasia 1	141			Narsinghgarh	186
		Berasia 2	141			Rajgarh	243
		Chandwad	101			Sarangpur Gramin	254
		Fanda	101			Jeerapur	280
		Govindpura	101			Suthalia	205
		J.P. Nagar	101			Pachor	224
		Kolar	101			Kurawar	159
		Motia Park	101			Khujner	240
2	SEHORE	Ashta	191				
		Budhni	65				
		Icchawar	167				
		Nasrulaganj	115				
		Sehore Gramin	134				
		Sehore Shahri	134				
		Doraha	140				
		Jawar	200				
		Ashta 2	191				
3	RAISEN	Begamganj	125				
		Bareli	21				
		Gairatganj	95				
		Obedullaganj	67				
		Sanchi	94				
		Silwani	71				
		Udaipura	55				
4	VIDISHA	Basoda 1	151				
		Gyaraspur	123				
		Kurwai	182				
		Lateri	184				
		Nateran	135				
		Sironj	183				
		Vidisha Shahri	97				
		Basoda 2	151				
		Vidisha Gramin	97				

नोट- उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त यदि भविष्य में अन्य परियोजनाओं में पोषण आहार की प्रदायगी किये जाने का कार्य निगम को प्राप्त होता है तो तदनुसार परियोजनाएं जोड़ी जावेंगी।

निविदाकार के पास उपलब्ध ट्रकों की जानकारी

क्रं	ट्रक आरटीओ पंजीयन क्रं	क्षमता	स्वयं का / अनुबंधित	आरटीओ पंजीयन पत्र की प्रति संलग्न करें। अनुबंधित होने की स्थिति में अनुबंध की प्रति संलग्न करें
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

लोडिंग क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

हस्ताक्षर एवं सील
परिवहनकर्ता

पोषण आहार के परिवहन हेतु वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

निविदाकार का नाम एवं पता		
कं	स्लेब किलोमीटर	दर रु प्रतिकिलोमीटर प्रति टन लोडिंग अनलोडिंग सहित GST अतिरिक्त
1	2	3
1	0- 25 (लोकल)	
2	26-50	
3	51-75	
4	76-100	
5	101-125	
6	126-150	
7	151-175	
8	176-200	
9	201-225	
10	226-250	
11	251-275	
12	276-300	
13	300- Above	

गेंहू/ चावल के परिवहन हेतु वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

कं	स्लेब किलोमीटर	दर रु प्रतिकिलोमीटर प्रति टन लोडिंग अनलोडिंग सहित GST अतिरिक्त
1	2	3
1	0- 25 (लोकल)	
2	26-50	
3	51-75	
4	76-100	
5	101-above	

उपरोक्त परिपत्र मात्र निविदाकारों के सदर्थ हेतु है । दरें केवल आन लाईन ही प्रस्तुत की जाना है ।

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है जिसे आगे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स जिन्हें आगे "परिवहनकर्ता" कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित कर पोषण आहार संयंत्र बाड़ी जिला रायसेन में पूरक पोषण आहार/ गेहूँ/ चावल का परिवहन का कार्य करने हेतु दिनांक को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । परिवहनकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों को मान्य करते हुए निविदा में भाग लिया गया है । निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक से परिवहनकर्ता के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत कार्यवाही की गई है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे :-

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. परिवहनकर्ता का सहमति पत्र
3. परिवहनकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार दस्तावेजों में उल्लेखित नियम व शर्तें अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

गवाह :

1.

2.

परिवहनकर्ता

1.

2.

(राशि रु 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित)